रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2011/फाल्गुन 13, 1932

No. 108] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2011/ 13, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2011

सा.का.नि. 183(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 है ।

(2) ये 1 अप्रैल 2011, को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'अधिनियम' से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (1010 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) 'मॉडल' से, बाट या माप का, ऐसा अंतिम भौतिक रूपण अभिप्रेत है, जिसके उन सभी संघटकों का, जो उसे अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथाउपबंधित, आवश्यक माप विज्ञान संबंधी और तकनीकी विशेषताएं तथा गुण प्रदान करते हैं, उपयुक्त रूप से जोड़े गए हैं ताकि निर्धारित सहायता के अधीन प्रत्येक बाट अथवा माप, जो ऐसे मॉडल के अनुसार बनाया गया हो, डायमेंशन, निर्माण, धात्विक निष्पादन तथा अन्य माप विज्ञान और तकनीकी विशेषताओं के संबंध में एक समान हों;

(ग) 'प्रधान अधिकारी' से प्रयोगशाला का प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय -II
प्रयोगशालाओं की मान्यता

3. **प्रयोगशालाओं के संबंध में सामान्य उपबंध**: (1) मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी।

(2) इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त कोई प्रयोगशाला किसी मॉडल के अनुमोदन के लिए कोई भी परीक्षण करेगी।

(3) किसी प्रयोगशाला का बाट अथवा माप के किसी मॉडल को आबंटित करने में निदेशक ऐसे मॉडल के अनुमोदन के लिए उस प्रयोगशाला में उपलब्ध सुविधाओं के अस्तित्व अथवा अन्यथा को ध्यान में रखेगा।

4. **प्रयोगशालाओं की मान्यता**: (1) किसी बाट अथवा माप के मॉडल के अनुमोदन के लिए परीक्षण करने हेतु इन नियमों के अधीन मान्यताप्राप्त करने की इच्छुक प्रत्येक प्रयोगशाला समय-समय पर यथा अधिसूचित प्ररूप में निदेशक को एक आवेदन करेगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन, प्रयोगशाला के प्रधान अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) जब प्रयोगशाला की मान्यता के लिए उप नियम (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, तो निदेशक मान्यता का प्रमाण पत्र जारी करने से पहले अपने एक या एक से अधिक अधिकारियों को प्रयोगशाला में भेजेगा और रिपोर्ट प्राप्त करेगा कि प्रयोगशाला -

(क) में आवश्यक माप उपकरण, परीक्षण सुविधाएं हैं और अनुरक्षित भवन समुचित दशा में है;

(ख) में संबंधित बाट अथवा माप के मॉडल के अनुमोदन की सिफारिश करने के लिए परीक्षण करने के लिए आवश्यक अर्हताप्राप्त कर्मचारी, घटक हैं;

(ग) उपयुक्त वातावरण में स्थित है;

(घ) में उपयुक्त रिकार्डिंग प्रणाली है;

(ड.) शीघ्र, दक्ष और पर्याप्त सेवा दे सकती है; और

(च) निदेशक द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य उपयुक्त प्रयोगशाला द्वारा समय-समय पर अपने उपकरणों को आवधिक रूप से सत्यापित करवाने के लिए तैयार और इच्छुक है;

(छ) क्या नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबरेटरीज (एन ए बी एल) द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र उस पैरामीटर या क्षेत्र में है जिसमें मॉडल परीक्षण किए जाने का प्रस्ताव है।

(4) निदेशक उसके अधिकारियों अथवा उप नियम (3) में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा उसको दी गई सूचना पर विचार करने के बाद और यदि आवश्यक हो, तो प्रयोगशाला का दौरा करने के बाद आवेदक प्रयोगशाला को मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करेगा जिसमें वे शर्तें और निबंधन

जिनके अधीन रहते हुए मान्यता दी गई है तथा वह कोड संख्या जो प्रयोगशाला को दी गई है, विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) जहां प्रयोगशाला की मान्यता के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, अथवा जहां ऐसा आवेदन किया गया, किन्तु उसका निपटान नहीं किया गया है, वहां निदेशक यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना नितांत आवश्यक है, तो प्रयोगशाला के प्रभारी प्रधान अधिकारी की सहमति से उस प्रयोगशाला को मान्यता का अस्थायी प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है, जो निदेशक की राय में उप नियम (3) की सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है और इस प्रकार जारी किया गया अंनतिम प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

(6) प्रयोगशाला द्वारा उप नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का पालन करने में चूक अथवा विफलता की दशा में निदेशक द्वारा प्रयोगशाला को प्रदान किए गए मान्यता प्रमाण-पत्र को निलंबित किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि प्रयोगशाला को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर दिए जाने के बाद के सिवाए ऐसा निलंबन नहीं किया जाएगा।

(7) जहां किसी प्रयोगशाला को मान्यता के प्रमाण-पत्र को उप नियम (6) के अधीन निलंबित किया जाता है, वहां निलंबन के आदेश को तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक उन निबंधनों और शर्तों के अनुपालन में चूक अथवा विफलता को दूर नहीं कर दिया जाता जिनके लिए निलंबन किया गया था।

(8) निदेशक अथवा उसका प्राधिकृत अधिकारी जब कभी अपेक्षित हो, प्रयोगशाला का दौरा कर सकेंगे और प्रधान अधिकारी निरीक्षणों की अनुमति देगा तथा मॉडल परीक्षण के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करने सहित उस प्रयोजनार्थ सभी सहायता प्रदान करेगा।

(9) प्रधान अधिकारी, उनके द्वारा परीक्षित मॉडलों, संग्रहीत फीस, प्रत्येक परीक्षण में लिए गए समय तथा ऐसे अन्य संगत विवरणों के संबंध में निदेशक को वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट भेजेगा।

(10) प्रधान अधिकारी, मॉडल परीक्षण के समय ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाएगा जो निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई हों।

(11) किसी प्रयोगशाला को प्रदान किए गए मान्यता के प्रमाणपत्र को निदेशक द्वारा निरस्त किया जा सकेगा, यदि प्रयोगशाला की परिस्थितियां ऐसी हों कि उससे एक मान्यताप्राप्त

प्रयोगशाला के रूप में युक्तियुक्त रूप से कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती हो अथवा यदि यह संदेह करने के लिए पर्याप्त कारण हों कि प्रयोगशाला भ्रष्ट संव्यवहारों की दोषी है।

परन्तु संबद्ध प्रयोगशाला को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के बाद के सिवाए मान्यता का प्रमाण-पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा।

अध्याय-III

मॉडलों का अनुमोदन

5. **मॉडलों के अनुमोदन के लिए आवेदन**: (1) मॉडल के अनुमोदन के लिए आवेदन निदेशक को किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी :-

(क) आवेदक का पूरा नाम और पता अथवा जहां मॉडल अन्य देशों से आयात किया गया हो, विनिर्माता तथा भारत में व्यौहारी का नाम और पता;

(ख) बाट अथवा माप का संक्षिप्त विवरण, उसके संबंधित वर्ग तथा संभावित प्रयोग, जिसके लिए बाट अथवा माप को बनाया जाना आशियत है;

(ग) बाट अथवा माप की माप विज्ञान और तकनीकी विशेषताओं तथा गुणों के बारे में आंकडे;

(घ) विनिर्माता द्वारा अपनाई गई परीक्षण प्रक्रिया;

(ड.) बाट अथवा माप का ट्रेड नाम या ब्राण्ड नाम तथा किस्म; और

(च) नियम 19 में निर्दिष्ट अपेक्षित फीस

(2) प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित की कम से कम 2 प्रतियां होंगी, -

(क) ऐसे बाट अथवा माप की सामान्य व्यवस्था और संस्थापन का एक स्कैच और खण्डवार ड्राइंग जिसमें बाट अथवा माप का ऐसी रीति से निर्माण के ब्यौरे सहित जो इसके तैयार रूप में बाट अथवा माप को देखा जा सके; और

(ख) एक दस्तावेज जिसमें निम्नलिखित का वर्णन हो, अर्थात् :-

(i) बाट अथवा माप के निर्माण के सिद्धांत और प्रचालन की पद्धति;

(ii) बाट अथवा माप के किसी कपटपूर्ण अथवा अशुद्ध प्रचालन के निवारण के लिए उपलब्ध कराई गई सुरक्षा युक्तियां;

(iii) बाट तथा माप को समायोजित करने अथवा शुद्ध करने का तरीका और विस्तार;

(iv) वह स्थान जहां सत्यापन स्टाम्प अथवा मोहर, या दोनों लगाई जा सकें;

(v) बाट अथवा माप के सामान्य व्यवस्था की योजनाएं और संस्थापना की ड्राइंग, तथा जहां आवश्यक वितरित स्थापना अनुदेश हों;

(vi) मॉडल के दो फोटोग्राफ, जिसमें स्पष्ट रूप से मॉडल के अनुमोदन के प्रमाण-पत्र के एक भाग के रूप में सम्मिलित की जाने वाली अनिवार्य घोषणाएं दी गई हों;

(vii) वास्तविक सर्किट डायग्राम (डिजीटल प्रकार के लिए);

(viii) उपस्कर पर वे स्थान जहां पर कपटपूर्ण व्यवहारों के निवारण के लिए सत्यापन स्टॉम्प अथवा मोहर या दोनों को लगाया जा सके;

(ix) उपयोगकर्ता मैनुअल, मुद्रित पम्फलेट्स तथा अन्य साहित्य की प्रतियां;

(x) कोई अन्य सूचना, जिसको आवेदक कार्यनिष्पादन के आंकलन के लिए तथा मॉडल के अनुमोदन को सुकर बनाने के लिए उपयोगी समझे।

(3) यदि बाट अथवा माप में पूरक अथवा अतिरिक्त उपस्करों का उपबंध किया गया है तो ऐसे पूरक अथवा अतिरिक्त उपस्करों के संबंध में पूरी जानकारी यथा उक्त बाट अथवा माप के संबंध में ड्राइंग. विवरण, भी आवेदन के साथ दिया जाएगा।

6. बाट अथवा माप के मॉडलों को प्रस्तुत करना – (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो बाट अथवा माप के किसी मॉडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है (जिसको इस नियम में इसके पश्चात आवेदक कहा गया है), मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला के खाते में इन नियमों के नियम 19 में यथानिर्धारित फीस जमा कराएगा।

(2) नियम 5 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज निदेशक द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को भेजे जाएंगे, जो मॉडल के अनुमोदन के लिए परीक्षण करता है, जिससे प्रयोगशाला यह निश्चित कर सके कि ऐसे दस्तावेज उस मॉडल के अनुमोदन के लिए उसके द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामों के अनुरूप हैं या नहीं।

(3) जहां बाट अथवा माप का स्वरूप ऐसा है कि उसके भारी भरकम होने के कारण परीक्षण के लिए प्रयोगशाला को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है वहां मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला ऐसे मॉडल का परीक्षण ऐसे स्थान पर कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।

परन्तु जहां परीक्षण मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला के परिसरों से भिन्न किसी परिसर पर किया जाता है तो आवेदक ऐसे परीक्षण की अवधि के लिए ऐसे परीक्षण के लिए भेजे गए व्यक्तियों

के यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान करेगा और ऐसे भत्ते ऐसी दरों पर देय होंगे जो मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में लागू नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य होंगे।

(4) आवेदक, मॉडल के अनुमोदन के लिए आवश्यक परीक्षण करने के प्रयोजन से मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा भेजे गए व्यक्तियों के दल को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जिनकी उनके द्वारा अपेक्षा की गई हो।

(5) मॉडल की स्थापना परीक्षण और हटाया जाना आवेदक की लागत और जोखिम पर होगा।

(6) केंद्रीय सरकार और मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला, मॉडल के जांच और परीक्षण के दौरान होने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

(7) जहां अनुमोदन के लिए किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को प्रस्तुत किए गए किसी मॉडल को आवेदक द्वारा ऐसे मॉडल के संबंध में अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने अथवा मना किए जाने की तारीख से 6 महीने समाप्त होने के बाद हटाया नहीं जाता है तो ऐसा मॉडल केंद्रीय सरकार के पास जब्त हो जाएगा और सरकार मॉडल का ऐसे तरीके से निपटान करेगी जैसा वह ठीक समझे।

(8) निदेशक का यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी मॉडल के अनुमोदन के लिए परीक्षण में तीन महीने से अधिक समय लगने की संभावना है और प्रयोगशाला से संतोषजनक प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वह प्रमाण-पत्र में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन विनिर्माता को एक अस्थायी प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा जिससे विनिर्माता अपने जोखिम पर उस बाट अथवा माप का विनिर्माण कर सके जिसके संबंध में अनुमोदन के लिए मॉडल प्रस्तुत किया गया हो।

परन्तु ऐसे उपकरण के विनिर्माण, वितरण और बिक्री को तत्काल रोक दिया जाएगा जब निदेशक द्वारा अस्थायी मॉडल अनुमोदन प्रमाण-पत्र आहरित कर लिया जाए।

परन्तु यह और कि यदि परीक्षित मॉडल अनुमोदन परीक्षण की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो अस्थायी प्रमाण-पत्र द्वारा सम्मिलित किए गए और बाजार में बेचे गए सभी उपकरण विनिर्माता की लागत पर तत्काल आहरित कर लिए जाएंगे।

7. **मॉडल अनुमोदन के लिए परीक्षण**: (1) अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किसी मॉडल की उपयुक्तता अथवा अन्यथा के आंकलन के लिए जरूरी परीक्षण प्रयोग की सामान्य शर्तों के

अधीन किए जाएंगे चाहे वे वास्तविक हों अथवा उत्प्रेरित, या बाट अथवा माप तथा वे निम्नलिखित दृष्टि से किए जाएंगे :-

(क) यह निश्चित करना कि ऐसे मॉडल अधिनियम और नियमों के द्वारा अथवा उनके अधीन ऐसे मॉडलों या अंतर्राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान संगठन की सिफारिशों के संबंध में स्थापित मानकों के अनुरूप हैं या नहीं;

(ख) ऐसे मॉडलों की शुद्धता तथा अन्य माप विज्ञान विशेषताओं को और गुणवत्ताओं को ऐसे कम से कम एवं न्यूनतम अवधियों में प्रयोग किए जाने के बांद, जो निदेशक सामान्य आदेश द्वारा बाट अथवा माप की उन श्रेणियों के संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए जिनसे मॉडल संबंधित है, बनाए रखने की क्षमता का पता लगाना;

(ग) प्रयोग की विभिन्न परिस्थितियों के अधीन ऐसे मॉडल के कार्यनिष्पादन को निश्चित करना;

(घ) प्रभावित करने वाले कारकों की संभावित घटना तथा माप विज्ञान एवं तकनीकी विशेषताओं पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखने के बाद मॉडल के माप विज्ञान और तकनीकी विशेषताओं को निश्चित करना;

(ड.) यह निश्चित करना कि क्या उन पर अधिनियम और नियमों के अधीन अपेक्षित अनिवार्य घोषणाएं हैं;

(च) यह निश्चित करना कि क्या उपकरण पर विनिर्माता द्वारा सुझाए गए सीलिंग के स्थान उनके कपटपूर्ण प्रयोग को रोकने के लिए पर्याप्त है;

(छ) सामान्यतया मॉडल के व्यवहार को निश्चित करना अर्थात उसका कड़ापन विश्वसनीयता और कपटपूर्ण प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता को निश्चित करना।

(2) प्रत्येक मॉडल का परीक्षण उस परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो निदेशक द्वारा बाट अथवा माप की उस श्रेणी के लिए निर्धारित की जाए जिससे मॉडल संबंधित है।

परन्तु जब तक निदेशक द्वारा बाट अथवा माप की किसी श्रेणी के संबंध में परीक्षण प्रक्रिया निर्धारित की जाती है तब तक बाट अथवा माप की ऐसी श्रेणी से संबंधित किसी मॉडल का परीक्षण ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला की राय में उसको ऐसे मॉडल के संबंध में अनुमोदन के प्रमाण-पत्र की मंजूरी की सिफारिश करने में समर्थ बनाएगी।

8. अनुमोदन का प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया: (1) परीक्षणों के पूरा हो जाने के बाद मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट अपनी इन सिफारिशों के साथ निदेशक

IndiaCode

को भेजेगी कि मॉडल अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं।

(2) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला किसी उपयुक्त मामले में सिफारिश करता है कि अनुमोदन अस्थायी रूप से प्रदान किया जाए जिससे वह विस्तृत परीक्षण कर सके और जहां ऐसी सिफारिश के अनुसरण में अस्थायी अनुमोदन प्रदान किया जाता है वहां स्थापना और उपयोग की ऐसी परिस्थितियों में उपकरणों की ऐसी संख्या पर परीक्षण किए जाएं जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों और जहां मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला ऐसा करना ठीक समझती है वहां ऐसे परीक्षणों को बाट अथवा माप के उपयोग के स्थान पर जारी भी रखा जा सकेगा तथा प्रयोग के ऐसे स्थान पर परीक्षण विस्तृत होंगे और ऐसी अवधि के होंगे तथा बाट अथवा माप की उतनी संख्या पर किए जाएंगे जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो।

(3) निदेशक मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला से संबंधित मॉडल के अनुमोदन में उस प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विस्तृत प्रक्रिया मंगा सकेगा।

(4) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा की गई रिपोर्ट की जांच करने पर निदेशक जहां उसका यह अभिमत हो कि आगे कोई परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा जहां उसका यह अभिमत है कि आगे परीक्षण की जरूरत है, रिपोर्ट को आगे के ऐसे परीक्षणों के लिए मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को वापस भेजेगा तथा उसके बाद मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला आगे के परीक्षण करने के बाद निदेशक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(5) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर विचार करने पर जहां निदेशक का यह अभिमत हो कि उस मॉडल के संबंध में अनुमोदन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाए, वह प्रमाण-पत्र जारी करने की सिफारिश केंद्रीय सरकार को भेजेगा और उस सरकार को मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा उसको प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करेगा।

(6) यदि निदेशक द्वारा अनुमोदन के प्रमाण-पत्र अथवा अंनतिम प्रमाण-पत्र को जारी करने की सिफारिश की गई हो तो केंद्रीय सरकार ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करेगी तथा निदेशक को केंद्रीय सरकार की ओर से और उसके लिए प्रमाण-पत्र को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत करेगी।

(7) उप नियम (6) के अधीन जारी कोई भी अस्थायी प्रमाण-पत्र उसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होगा।

परन्तु मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह अस्थायी प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि को ऐसी अवधि तक बढ़ा सकती है जैसी वह उचित समझे;

परन्तु यह और कि केंद्रीय सरकार, संबंधित विनिर्माता द्वारा उसको किए गए किसी आवेदन पर अंनतिम प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि को आगे की ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो वह उचित समझे, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला अंनतिम प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि समाप्त होने से पहले परीक्षण पूरा करने में असफल है, ऐसी अवधि को बढ़ाने की सिफारिश करने से अयुक्तियुक्त रूप से लोप किया है।

(8) प्रत्येक अनुमोदित मॉडल को एक कोड संख्या दी जाएगी और इस प्रकार दी गई कोड संख्या का उल्लेख अनुमोदन के प्रमाण-पत्र अथवा अंनतिम प्रमाण-पत्र, जैसा भी मामला हो, पर किया जाएगा।

(9) जहां किसी बाट अथवा माप का मॉडल, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, अनुमोदित किया गया हो, ऐसे बाट अथवा माप के विभिन्न विभाजकों वाले मॉडलों के लिए ऐसे विभाजकों के किसी अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी जो उन्हीं सिद्धान्तों और उसी सामग्री के अनुसार विनिर्मित होते हैं जिनसे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किए गए।

9. अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने की सिफारिश न की जाने पर प्रक्रिया – जहां कोई मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला किसी मॉडल के संबंध में अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने की सिफारिश नहीं करती, तो वह निदेशक को उसके कारण विनिर्दिष्ट करेगी, जो ऐसे कारण आवेदक को ऐसे निदेशों के साथ, जैसे वह ठीक समझे, संसूचित करेगा और तब आवेदक निदेशक को इस आशय का अभ्यावेदन कर सकेगा कि मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की सिफारिश की जानी चाहिए थी और ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात निदेशक या तो उसे अस्वीकार करेगा या केंद्रीय सरकार को अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सिफारिश कर सकेगा।

10. अनुमोदन के लिए अस्वीकृत मॉडल का पुन: प्रस्तुतीकरण- (1) जहां किसी मॉडल को अनुमोदन न मिला हो, उस अस्वीकृत मॉडल को अनुमोदन हेतु यथावश्यक रूपांतरणों के पश्चात पुन: प्रस्तुत किया जा सकेगा।

828 GI/11-3

(2) जहां कोई भी अस्वीकृत मॉडल को अनुमोदन हेतु पुन: प्रस्तुत किया जाता है, वहां यह माना जाएगा कि इस प्रयोजन के लिए नियमों के अधीन फीस के उदगृहण और परीक्षण के प्रयोजन के लिए एक नया आवेदन उस मॉडल के अनुमोदन के लिए देना होगा।

11. अनुमोदन के प्रमाणपत्र का अंतर्वस्तु-

(1) अनुमोदन प्रमाणपत्र में निम्नलिखित जानकारियां भी होनी चाहिए अर्थात् :-

(क) प्रमाणपत्र की संख्या;

(ख) मॉडल का एक संक्षिप्त विवरण;

(ग) अनुमोदित मॉडल के लिए निर्दिष्ट चिन्ह;

(घ) बाट या माप की श्रेणी;

(ड.) परीक्षणों के परिणामों का संक्षिप्त विवरण;

(च) विशेष शर्तें, यदि कोई हों, उन्हें विनिर्माण, सत्यापन और मॉडल के अनुसार बाट और माप के प्रयोग के लिए संगृहीत; और

(छ) वह या वे स्थान जहां पर सत्यापन सील या स्टाम्प या दोनों लगाए जा सकेंगे ।

(2) अनुमोदन का प्रमाण-पत्र राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ही प्रवृत्त होगा।

(3) जहां कोई बाट या माप विशेष प्रयोग के लिए आशयित हो, उस बाट या माप से संबंधित अनुमोदन का प्रमाणपत्र उस विशेष प्रयोग को निर्दिष्ट करे।

(4) निदेशक, आवश्यक मॉडल प्रमाणपत्र को राजपत्र में प्रकाशित करायेगा।

(5) निदेशक, पूर्वगामी उपनियमों में निर्दिष्ट सूचना को. केंद्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित जरनल में भी यदि कोई हो, प्रकाशित करायेगा।

12. अनुमोदन चिन्ह:- (1) मॉडल को नियत चिन्ह में राष्ट्रीय पहचान अक्षर, अर्थात् आई एन डी, जारी किए गए वर्ष के अंतिम दो अंक (उदाहरण के लिए, 77), प्रयोगशाला के लिए नियत कोड संख्या और मॉडल के लिए नियत कोड संख्या अंतर्विष्ट होंगें।

(2) अनुमोदित मॉडल को नियत चिन्ह साफ तथा स्पष्ट रूप से मॉडल में उस जगह पर होगा जैसा की अनुमोदन प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट हो और निर्माता अथवा विनिर्माता द्वारा बनाया गया प्रत्येक बाट अथवा माप के अनुमोदित मॉडल के अनुसार हो :

परन्तु, यदि बाट अथवा माप के अनुमोदित मॉडल का बनावट इस तरह हो कि उस अनुमोदित मॉडल के लिए नियत चिन्ह को उस पर नहीं लगाया जा सकता है (उदाहरण के लिए, जहां वे भंगुर या अत्यंत ही छोटे हों) वह चिन्ह अनुमोदन प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ लगा हो सकेगा:

परन्तु यह और कि, जहां अनुमोदन सीमित प्रकृति का हो, तो अनुमोदन चिन्ह को एक विशेष चिन्ह द्वारा अनुमोदन का परिसीमन दर्शित करते हुए संलग्न होना चाहिए और विभिन्न परिसीमनों के लिए भिन्न-भिन्न विशेष चिन्ह भी बनाए जा सकेंगे।

13. अनुमोदन प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण – (1) अनुमोदन के प्रमाणपत्र को रद्द भी किया जा सकेगा यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि;

(क) मॉडल जिसको पहले अनुमोदित किया जा चुका हो उसका अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट एकको के साथ अनुपालन नही किया हो। या

(ख) कोई मॉडल उस मॉडल के संबंध में तत्समय प्रवृत मानकों के अनुरूप नही रह गया हो।

(ग) सामान्य रूप से उस मॉडल के अनुसार विनिर्मित उत्पादों (बाट अथवा माप) के प्रयोग करने के दौरान यदि विश्वसनीयता, परिशुद्धता या प्रदर्शन में त्रुटि दिखाई देती है ।

(घ) जहां विनिर्माण पूर्णत: या आंशिक रूप से अनुमोदन के प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं करता हो।

परन्तु किसी भी प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरित नहीं होगा जब तक कि उस प्रमाणपत्र के धारक ने प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शित करके युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

(ड.) जहां विनिर्माता या किसी भी व्यक्ति ने अनुमोदित मॉडल या सर्किट डायग्राम के डिजाइन के साथ अभिव्यंजकपूर्ण परिवर्तन किया हो।

(2) जहां किसी मॉडल के अनुमोदन के प्रमाणपत्र को प्रतिसंहरित कर दिया गया हो, उस मॉडल के अनुसार किसी भी बाट अथवा माप के उत्पादन को रोक दिया जाना चाहिए और उस तारीख से जैसा भी प्रतिसंहरण के उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए और प्रतिसंहरण की तारीख के बीच के किसी भी समय में प्रत्येक बाट अथवा माप के निर्माण या विनिर्माण और वह विनिर्दिष्ट तारीख ऐसे प्रतिसंहरण के होते हुए भी ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख को प्रवृत अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसार सत्यापन के अधीन होगा।

परन्तु जहां, उस सत्यापन पर, यह पाया जाता है कि इस प्रकार के बाट अथवा माप के प्रयोग से त्रुटि उत्पन्न होने की संभावना है, उस बाट अथवा माप के लिए अनुज्ञा से परे कोई भी बाट अथवा माप उससे किया जाए, निदेशक, आदेश के द्वारा उस बाट अथवा माप का वाद चलाकर उस पर प्रतिबंध लगा सकेगा ।

14. अनुमोदन के प्रमाणपत्र का निलंबन – (1) निदेशक द्वारा मॉडल के अनुमोदन के प्रमाणपत्र का निलंबन, उस प्रमाणपत्र के धारक की ओर से चूक या असफल होने की दशा में किया जा सकेगा ।

(i) उस मॉडल से संबंधित प्रमाणपत्र के अनुसार, बाट अथवा माप का निर्माण या विनिर्माण करना, या

(ii) किसी भी मॉडल के अनुसार बाट अथवा माप के विनिर्माता के संबंध में नियमों अथवा मानकों के अनुरूप बनाना, या

(iii) अनुमोदन के प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना: परन्तु प्रमाणपत्र के धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के सिवाय इस प्रकार निलंबन नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां किसी भी अनुमोदन के प्रमाणपत्र का निलंबन उपनियम (1) के अधीन किया गया हो, निलंबन के आदेश को तब तक वापिस नही लिया जाएगा जब तक कि जिसके लिए निलंबन किया गया है, विफलता की चूक को ठीक नहीं कर लिया जाता है।

(3) जहां किसी भी अनुमोदन के प्रमाणपत्र का निलंबन उप नियम (1) के अधीन किया गया हो, संबंधित राज्य के विधिक माप विज्ञान के नियंत्रक द्वारा उपस्थित स्टॉक की एक सूची बना दी जाए, जिन्हें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आगे कोई भी विक्रय नहीं होगा बशर्ते निदेशक द्वारा अनुमोदन के प्रमाणपत्र के निलंबन को रद्द कर दिया जाए।

15. प्रकाशित किए जाने वाले प्रमाणपत्रों का प्रतिसंहरण और निलंबन – प्रत्येक अनुमोदन के प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण अथवा निलंबन को प्रकाशित करने का आदेश, जहां तक हो सके, नियम 11 में निर्देशित तरीके से हो।

16. मॉडलों अथवा उसके चित्रों को जमा करना – (1) निदेशक किसी भी बाट या माप, जिसके मॉडल को अनुमोदित किया जा चुका हो अथवा उसके किसी संघटक अथवा उसके डमी की मांग कर सकता है, जहां पर उसे यह लगे कि यह जनहित के लिए किया जाना आवश्यक है।

(2) उपनियम (1) के अनुसार जमा किये गये अनुमोदित मॉडलों, अंगों, चित्रों अथवा डमियों को रिकार्ड और निर्देशों के प्रयोग के लिए संरक्षित रखा जाएगा और जनता द्वारा निरीक्षण के लिए नहीं खोला जाएगा 1

17. **ऐसे बाट या माप के लिए उपबंध जिसके मॉडल का अनुमोदन सामान्यत: आवश्यक नहीं है** – (1) अधिनियम की धारा 22 के अधीन अर्जित किसी बाट या माप के मॉडल के अनुमोदन के प्रयोजनार्थ, अर्जित करने वाला अधिकारी उस बाट या माप के मॉडल के परीक्षण की आवश्यकता की सूचना निदेशक को देगा और उस सूचना की प्राप्ति के बाद निदेशक यदि संतुष्ट हो जाता है कि उस बाट अथवा माप के मॉडल के परीक्षण की आवश्यकता है, विनिर्माता को उसके द्वारा निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा उस मॉडल के परीक्षण के लिए मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

परन्तु यदि बाट अथवा मांप का कोई भी मॉडल अर्जित हेतु न हो, तो विनिर्माता का यह कर्तव्य होगा कि वह विनिर्माण लाइन द्वारा बाट अथवा माप की श्रेणी का एक नमूना उत्पन्न करें और निदेशक द्वारा निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा उस नमूने को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करे।

(2) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को उपनियम (1) में निर्देशित परीक्षणों को करने के बाद जितनी जल्दी संभव हो, उन परीक्षणों के परिणामों का ब्यौरा निदेशक तक पहुंचा दिया जाना चाहिए।

(3) यदि इन परीक्षणों के परिणामों को देखने के बाद निदेशक संतुष्ट हो जाए कि मॉडल अथवा नमूना, जैसा भी मामला हो, अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं है, वो विनिर्माता को उन कमियों को उसके द्वारा निर्दिष्ट समय के अंदर दूर करने के लिए बुला सकता है; और इस निर्दिष्ट समय के अंदर यदि वे कमियां दूर नहीं की गई, विनिर्माण का लाइसेंस, जिसका संबध उस बाट अथवा माप के विनिर्माण से है जिसके मॉडल या नमूने का परीक्षण किया गया था, को रद्द किया जा सकेगा ।

18. **अनुकल्प सामग्रियों के परीक्षण से संबंधित प्रावधान** – (1) अनुकल्प सामग्री विनिर्माता द्वारा विनिर्माण के प्रारंभ करने की तिथि से सात दिनों के अंदर निदेशक को भेज दी जानी चाहिए, जो इसे मान्यताप्राप्त उपयुक्त प्रयोगशाला को अनुमोदन के लिए अग्रेषित करायेगा ।

(2) जहां अनुकल्प सामग्री मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजी जाएगी, वह प्रयोगशाला आवश्यक परीक्षण करेगा और यह निश्चित करेगा कि अनुकल्प सामग्री का प्रयोग उस प्रयोजन को पूरा करे जिसके लिए उस मॉडल को अनुमोदन मिला था और यदि मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला यह राय दे कि वह अनुकल्प सामग्री उपयुक्त नहीं है, तब उस मॉडल को नए मॉडल के रूप में माना जाएगा।

(3) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला अपने अन्वेषणों को निदेशक के माध्यम से केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगा।

19. बाट अथवा माप के मॉडल के परीक्षण के लिए फीस -
जब आवेदक नियमों के अनुसार आवेदन करता है तब वह प्रयोगशाला को परीक्षण मूल्य के लिए फीस निम्न प्रकार से जमा करेगा ।

(i) यांत्रिक प्रकार के बाट या माप अथवा बाट और माप उपकरण के मॉडल के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पांच हजार रुपए ।
(ii) डिजिटल या इलैक्ट्रोनिक प्रकार के बाट या माप अथवा बाट और माप उपकरण के मॉडल के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दस हजार रुपए ।

जो किसी भी व्यापार अथवा वाणिज्य के लिए अभिप्रेत विक्रय, खरीद, वितरण, सुपुर्दगी के लिए विनिर्मित किए गये हों

(2) आवेदक उपनियम (1) में निर्देश के अनुसार अनुकल्प सामग्री के परीक्षण के लिए परीक्षण फीस की आधी फीस जमा करेगा ।

20. बाट अथवा माप के विनिर्माण के लिए कब लाइसेंस जारी होगा -
(1) किसी भी बाट अथवा माप के विनिर्माण या आयात के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर ले कि उस बाट अथवा माप को अनुमोदन का प्रमाणपत्र केंद्रीय सरकार के अधिनियम के धारा 22 के अधीन दिया गया हो।
(2) जब किसी भी मॉडल के अनुमोदन का कोई भी प्रमाणपत्र केंद्रीय सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया हो, राज्य सरकार द्वारा किसी भी बाट अथवा माप के विनिर्माण अथवा आयात हेतु जारी लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा।
परन्तु वह निलंबन रद्द किया जाएगा यदि उस मॉडल को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

21. निरसन और व्यावृत्तियां - (1) बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

परन्तु ऐसे निरसन का निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा :-

(क) उक्त नियमों का पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन जो की गई या किए जाने का लोप किया गया या उसें हुई क्षति; या

(ख) उक्त नियमों के अधीन प्राप्त, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या उत्तरदायित्व; या

(ग) उक्त नियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में कोई शास्ति, जब्ती या दंड; अथवा

(घ) पूर्वोक्त अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, उत्तरदायित्व, शास्ति, जब्ती या दंड के संबंध में कोई अंवेषण, विधिक कार्यवाही या उपाय।

और ऐसा कोई अंवेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, जारी अथवा लागू किए जा सकेंगे और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती या दंड जो अधिरोपित की जा सकेगी यदि उक्त नियमों को विखण्डित नहीं किया गया।

(2) ऐसे किसी निरसन के होते हुए भी किया गया या की गई कोई कार्यवाही या किए जाने के लिए तात्पर्यित या पत्र या प्रदत्त छूट, संग्रहीत फीस, कोई न्यायनिर्णय, जांच या आरंभ किया अन्वेषण, बाट और माप के विनिर्माताओं, व्यौहारियों और आयातकों की अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण, कारण बताओ नोटिस, विनिश्चय, अवधारण, अनुमोदन, उक्त नियमों के अधीन जारी, दिया गया अथवा किया गया प्राधिकार, यदि उक्त नियमों के प्रारंभ होने के समय प्रवृत है तो प्रवृत रहेंगे और उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानो वे इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी किए, दिए अथवा किए गए हैं।

(3) इन नियमों के उपबंध, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को किए गए किसी आवेदन या इन नियमों के प्रारंभ पर लंबित बाट और माप की विनिर्माताओं, आयातकों, व्यौहारियों की अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण के लिए उक्त नियमों के अधीन किए गए किसी आवेदन पर तथा उसके पश्चात किसी कार्रवाई पर और उसके अनुसरण में अनुदत्त किसी रजिस्ट्रीकरण पर लागू होंगे।

(4) इन नियमों के प्रारंभ में उक्त नियमों के अधीन किसी न्यायालय में लंबित कोई विधिक कार्रवाई उस न्यायालय में उसी प्रकार जारी रह सकेगी मानो ये नियम विरचित नहीं किए गए हों।

(5) यथास्थिति उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को की गई कोई अपील और उसका लंबित होना इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएंगी।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-9(6)/2010-पार्ट]

राकेश कक्कड़, विशेष सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2011

G.S.R. 183(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) read with clause (m) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) , the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called The Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011.
(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2011.

2. Definitions.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires;-
(a) "Act" means- the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010);
(b) "Model" means the final physical representation of a weight or measure in which all the components imparting to it the necessary metrological and technical characteristics and qualities as provided in the Act and the rules made there under are suitably assembled so that subject to prescribed tolerances, every weight or measure produced in accordance with such model may be similar as regards dimensions, constructions, material performance and other metrological and technical characteristics;
(d) "Principal Officer" means the officer who is in charge of the laboratory;
(2) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II
Recognition of Laboratories

3. General provisions relating to laboratories.-(1) The list of recognized laboratories shall be notified from time to time.
(2) A laboratory recognized under these rules shall carry out any test for the approval of any model.
(3) In allocating any model of weight or measure to any laboratory, the Director shall take into account the existence or otherwise of the facilities available in that laboratory for the approval of such model.

4. Recognition of Laboratories.- (1) Every laboratory desirous of obtaining recognition under these rules for carrying out tests for the approval of the model of any weight or measure shall make an application to the Director in the form as may be notified from time to time.

(2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be made by the Principal officer of the laboratory.

(3) When an application is made under sub-rule (1) for the recognition of a laboratory, the Director shall, before issuing the certificate of recognition send one or more of his officers to the laboratory and obtain a report whether the laboratory,-

(a) has the necessary measuring equipment, testing facilities and buildings maintained in a proper conditions;

(b) has the necessary qualified staff, component to undertake the tests for recommending the approval of model of the concerned weight or measure;

(c) is situated in an appropriate environment;

(d) has an adequate recording system;

(e) is likely to give expeditious efficient and adequate service; and

(f) is ready and willing to get its equipment verified periodically by such other appropriate laboratory, as may be specified by the Director.

(g) has the certificate issued by the National Accreditation Board of Laboratories (NABL) in the parameter or field in which model test is proposed to be undertaken.

(4) The Director shall, after considering the information supplied to him by his officer, or officers referred in sub-rule (3) and if necessary, after a visit to the laboratory, shall issue to the applicant laboratory a certificate of recognition specifying therein the terms and conditions subject to which the recognition is granted, and the code number which has been assigned to the laboratory.

(5) Where no application for the recognition of a laboratory has been made, or where such application having been made has not been disposed of, the Director may if he is satisfied that it is urgently necessary so to do, issue, with the consent of the principal officer in-charge of the laboratory a provisional certificate of recognition to a laboratory which, in the opinion of the Director fulfils all the requirements of sub-rule(3) and the provisional certificate so issued shall be valid for one year.

(6) The certificate of recognition granted to laboratory may be suspended by the Director in the event of the omission or failure on the part of the laboratory to observe the terms and conditions specified under sub-rule (4):

Provided that no such suspension shall be made except after giving to the laboratory a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

(7) Where any certificate of recognition to a laboratory is suspended under sub-rule (6), the order of suspension shall not be vacated unless the omission or failure of compliance of terms and conditions for which such suspension was made has been made good.

(8) The Director or his authorised officer may visit the laboratory as and when required and the Principal Officer will permit inspections and render all assistance for the

828 GI/11-5

purpose including the production of records with regard to model testing.

(9) The Principal Officer shall submit annually to the Director a report in respect of the models tested by them, the fee collected, time taken for each testing and such other relevant particulars.

(10) The Principal Officer, while testing the models adopt such procedures as may be prescribed by the Director from time to time.

(11)The certificate of recognition granted to a laboratory may be cancelled by the Director if the circumstances of the laboratory are such that it cannot be reasonably expected to function properly as a recognized laboratory or if there are sufficient reasons to suspect that the laboratory has been guilty of corrupt practices.

Provided, that no certificate of recognition shall be cancelled except after giving to the concerned laboratory a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

CHAPTER III
APPROVAL OF MODELS

5. Application for the approval of models.- (1) An application for the approval of model shall be made to the Director and shall contain.-

(a) the full name and address of the applicant or where the model is imported from other countries, the name and address of the manufacturer as well as the dealer in India.

(b) a brief description of the weight or measure the class to which it belongs and the probable uses for which the weight or measure is intended to be produced;

(c) data regarding metrological and technical characteristics and qualities of the weight or measures;

(d) test procedure followed by the manufacturer;

(e) trade name or brand name and type of the weight or measure, and

(f) the requisite fees specified in rule 19.

(2) Every application shall be accompanied by not less than two copies of,-

(a) a sketch and section-wise drawings of general arrangements and installation of such weight or measures including therein the details of construction of the weight or measure in such manner as to enable the visualization of the weight or measures in its finished form, and;

(b) a document describing the following namely:-

(i) the principles of construction and the method of operation of the weight or measure;

(ii) the safety devices provided to prevent any fraudulent or inaccurate operation of the weight or measure;

(iii) the manner in which and the extend to which the weight or measure may be adjusted or corrected;

(iv) the place where the verification stamp or seal, or both, may be affixed;

(v) plans of general arrangements and installations drawings of the weight or measure and, where necessary detailed installation instructions;

(vi) two photographs of the model clearly indicting the mandatory declarations to be

included as a part of the certificate of approval of the model;
(vii) actual circuit diagram (for digital type);
(viii) place/places on the instrument where the verification stamp or seal or both have to be applied to prevent fraudulent practices;
(ix) copies of the user's manual, printed pamphlets and other literatures;
(x) any other information which the applicant may consider to be useful for assessing the performance, and facilitating the approval of the model;
(3) If the weight or measures is provided with supplementary or additional devices, full information with regard to such supplementary or additional devices, such as drawing, descriptions in relation to the said weight or measures, shall also be given along with the application.

6. Submission of the models of weight or measure.-(1) Every person, who submits any model of weight or measure or weighing and measuring instrument for approval (hereinafter in this rule referred to as, the applicant), shall deposit to the credit of the recognized laboratory, a fee as prescribed in the rule 19 of these rules.
(2) All the documents referred to in rule 5 shall be sent by the Director to the recognized laboratory which carries out the tests for the approval of the model, to enable the laboratory to ascertain whether such documents conform to the details of the results of the tests carried out by it for the approval of that model."
(3) Where the nature of weight or measure is such that due to its voluminous nature it cannot be submitted to the laboratory for testing, the recognized laboratory may under take the testing of such model at such place as it may deem fit:
Provided that, where the test is undertaken at any premises other than those of a recognized laboratory, the applicant shall pay for the duration of such test, the traveling and daily allowances of the persons deputed for such tests and such allowances shall be payable at such rates as may be admissible to such persons in accordance with the rules in force in the recognized laboratory."
(4) The applicant shall provide such facilities as may be required by the team of persons deputed by the recognized laboratory for the purpose of carrying out the necessary tests for the approval of the model.
(5) The installation, tests and removal of the model shall be done at the cost and risk of the applicant.
(6) The Central Government and the recognized laboratory shall not be responsible for any loss or damage that the model may sustain the course of examination and testing.
(7) Where any model submitted to a recognized laboratory for approval is not removed by the applicant after the expiry of six months from the date on which a certificate of approval was granted or refused in relation to such model, such model shall become forfeit to the Central Government, and that Government shall dispose of the model in such manner as it may think fit.
(8) The Director may, if he is satisfied that the test for the approval of any model is likely to take more than three months and on receipt of satisfactory preliminary test reports from the laboratory, issue subject to such conditions as may be specified in the certificate, a provisional certificate to enable the manufacturer, to manufacture at his

own risk the weight or measure in relation to which the model has been submitted for approval:

Provided that manufacture, distribution or sale of such instrument shall be discontinued immediately when the provisional model approval certificate has been withdrawn by the Director.

Provided further that in case the tested model does not meet the requirements of the model approval test, all instruments covered by the provisional certificate and sold in the market shall be withdrawn with immediate effect at the manufacturer's cost.

7. Tests for the approval of model.- (1) The tests needed for the assessment of the fitness or otherwise of a model submitted for approval shall be carried out under the normal conditions of use, whether actual or stimulated, or the weight or measure and shall be made with a view to -

(a) ascertaining whether such model conforms to the standards established, in relation to such model, by or under the Act and the rules or to the recommendations of the International Organization of Legal Metrology (OIML);

(b) finding out the ability of such model to maintain accuracy and other metrological characteristics and qualities after it has been put to use for such minimum number of times or over such minimum period as the Director, may, by general order, specify in relation to the class of weight or measure to which the model pertains;

(c) determining the performance of such model under varied conditions of use;

(d) determining the metrological and technical characteristics of the model after taking into account the possible incidence of influence factors and their effect on metrological and technical characteristics;

(e) determining whether they carry the mandatory declarations required under the Act and the rules;

(f) determining whether the place or places of sealing on the instrument suggested by the manufacturer is sufficient to prevent their fraudulent use;

(g) determining generally, the behavior of the model, that is to say, its robustness, reliability and susceptibility to fraudulent use;.

(2) Every model shall be tested in accordance with such test procedure as may be laid down by the Director in relation to the class of weight or measure to which such model pertains;

Provided that until the test procedure is laid down by the Director in relation to any class of weight or measure, the test of any model pertaining to such class of weight or measure shall be carried out in accordance with such procedure as would, in the opinion of the recognized laboratory, enable it to recommend the grant of certificate of approval in relation to such model.

8. Procedure for the issue of certificate of approval. - (1) After the completion of the tests, the recognized laboratory shall send a report of its findings to the Director with its recommendations whether the model satisfies the requirements of the Act and the rules made there under.

(2) The recognized laboratory may in an appropriate case, recommend that the approval may be accorded provisionally to enable it to conduct detailed tests and where in pursuance of such recommendation, provisional approval is granted, test may be carried out on such number of instruments under such conditions of installation and use, as may be specified by the Director, and such tests may also be continued, where the recognized laboratory thinks fit so to do, in the place of use of the weight or measure, and the tests at such place of use shall be detailed ones and of such duration and carried out on such number of weights or measures as may be specified by the Director.

(3) The Director may require the recognized laboratory to send to him the detailed test procedure adopted by that laboratory in approving the concerned model.

(4) On examination of report made by the recognized laboratory, the Director shall, where he is of opinion that no further test is required to be carried out, submit the report to the Central Government and where he is of the opinion that further tests are required, remit the report back to the recognized laboratory for carrying out such further tests; and there upon the recognized laboratory shall, after carrying out further tests, submit a report to the Director.

(5) Where consideration of the report of the recognized laboratory, the Director is of the opinion that a certificate of approval in relation to that model should be issued, it shall recommend to the Central Government the issue of the certificate and shall also forward to that Government a copy of the report submitted to it by the recognized laboratory.

(6) The Central Government may, if the issue of a certificate or provisional certificate of approval has been recommended by the Director, issue such certificate and authorize the Director to authenticate the certificate for and on behalf of the Central Government.

(7) No provisional certificate issued under sub-rule (6) shall remain valid for a period exceeding one year from the date of its issue.

Provided that the Central Government may, if is satisfied, on the recommendation of the recognized laboratory, it is necessary in the public interest so to do, extend the period of validity of the provisional certificate for such period as it may think fit;

Provided further that the Central Government may also, on an application made to it by the concerned manufacturer, extend the period of validity of the provisional certificate for such further period as it may think fit if it is satisfied that the recognized laboratory, having failed to complete the tests before the expiry of the period of validity of the provisional certificate, has unreasonably omitted to recommend the extension of such period.

(8) A code number shall be assigned to each approved model and the code number so assigned shall be indicated in the certificate, or provisional certificate of approval, as the case may be.

(9) Where the model of any weight or measure to which these rules are applies has been approved, the models of different denominations of such weight or measure shall not require any approval of such denominations which are manufactured in accordance with the same principles according to which, and the same material with which the approved model has been manufactured.

9. Procedure where issue of certificate of approval is not recommended. - Where the recognized laboratory does not recommend the issue of a certificate of approval in relation to any model, it shall specify its reasons therefore to the Director who shall communicate such reasons to the applicant with such directions as he may think fit and thereupon the applicant may make a representation to the Director to the effect that the issue of the certificate of approval should have been recommended by the recognized laboratory and on considering such representation, the Director may either reject it or recommend to the Central Government the issue of certificate of approval.

10. Re-submission of disapproved model for approval. – (1) Where any model is not approved, the disapproved model may be re-submitted for approval after carrying out therein such modifications as may be necessary.

(2) Where any disapproved model is resubmitted for approval, it shall be deemed, for the purpose of levy of fees and tests under these rules, to be a fresh application for the approval of that model.

11. Contents of a certificate of approval. - (1) The certificate of approval shall also contain the following information's namely: -

(a) the number of the certificate;

(b) a brief description of the model;

(c) the mark assigned to the approved model;

(d) the category of weight or measure;

(e) a brief statement of the results of the tests;

(f) the special conditions, if any, to be complied with for the manufacture, verification and use of weights or measures conforming to the model; and

(g) the place or places where the verification seal or stamp or both may be affixed.

(2) The certificate of approval shall become effective on and from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) Where any weight or measure is intended for a special use, the certificate of approval in relation to such weight or measure shall indicate the special use.

(4) The Director shall cause the necessary model certificate to be published in the official Gazette.

(5) the Director may also cause the information referred to in the foregoing sub-rules to be published in the journal, if any , published by the Central government.

12. Mark of approval. - (1) The mark assigned to the model shall contain the national identification letters, namely, IND, the last two digits of the year of the issue (for example, 77), the code number assigned to the laboratory and the code number assigned to the model.

(2) The mark assigned to the approved model shall be clearly and legibly affixed at such place of the model as may be specified in the certificate of approval and also on each weight or measure produced by the maker or manufacturer in accordance with the

approved model:

Provided that if the approved model of the weight or measure conforming to such model is such that the mark assigned to the approved model cannot be affixed on it (for example, where it is fragile or too small), that mark may be associated with the conditions specified in the certificate of approval:

Provided further that, where the approval is of a limited character, the mark of approval shall be accompanied by a special mark indicating the limitations of the approval and different special marks may be made for different limitations.

13. Revocation of certificate of approval. - (1) A certificate of approval may be revoked if the Central Government is satisfied that; -

(a) the model which had been previously approved no longer complies with the units specified in the rules made under the Act, or

(b) the model has ceased to conform to the standards for the time being in force in relation to such model, or

(c) defects in regards to reliability, accuracy or performance have generally been noticed in the course of use of the products (weights or measures) manufactured in accordance with such model, or

(d) where the manufacturer does not following either wholly or partly, the conditions specified in the certificate of approval:

Provided that no such certificate shall be revoked unless the holder of such certificate has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

(e) where the manufacture or any other person has significantly altered the approved design of the model or the circuit diagram.

(2) Where the certificate of approval of any model has been revoked, the production of any weight or measure in accordance with such model shall be stopped on and from such date as may be specified in such order of revocation and every weight or measure made or manufactured at any time between the date of revocation and the specified date shall notwithstanding such revocation be subject to verification In accordance with the provisions of the Act and the rules in force on the date of such revocation:

Provided that where, on such verification, it is found that the use of any such weight or measure is likely to cause errors, beyond those permitted for such weight or measures, in any weight or measurement carried out with it, the Director may by order, prohibit the sue of such weight or measure.

14. Suspension of certificate of approval. - (1) A certificate of approval of a model may be suspended by the Director in the event of the omission or failure on the part of the holder of such certificate;

(i) to make or manufacture weights or measures in accordance with the model to which the certificate relates, or

(ii) to conform to the rules or standards in relation to any weight or measure manufactured in accordance with the model, or

(iii) to comply with the conditions specified in the certificate of approval:

Provided that no such suspensions shall be made except after giving to the holder of

the certificate a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

(2) Where any certificate of approval has been suspended under sub-rule (1), the order of suspension shall not be vacated unless the omission of failure for which such suspension was made has been made good.

(3) Where the certificate of approval has been suspended under sub-rule (1), an inventory of the existing stock shall be made by the Controller of Legal Metrology of the Concerned State who will also ensure that no further sale will be made unless the suspension of the certificate of approval is revoked by the Director.

15. Revocation and suspension of certificates to be published. - Every order of revocation or suspension of certificate of approval shall be published, as far as may be, in the manner specified in rule 11.

16: Deposit of Models or its drawings. - (1) The Director may call for any weight or measure, the model of which has been approved or any of its component, or its dummy, where he is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest.

(2) The approved models, parts, drawings or dummies, submitted in accordance with the sub-rules (1) shall be preserved for the purposes of record and reference and shall not be opened to inspection by the public.

17. Provisions relating to weight or measure for which model approval is ordinarily not necessary. - (1) For the purpose of approval of any model of any weights or measure, required under section 22 of the Act, the officer acquiring such weight or measure shall intimate to the Director the need for the testing of the model of such weight or measure, and, on receipt of such intimation, the Director shall, if he is satisfied that the model of such weight or measure needs testing, call upon the manufacture to produce such model for a test by the recognized laboratory specified by him:

Provided that where there is no model of the weight or measure so acquired it shall be the duty of the manufacturer to furnish, from the manufacturing line, one sample of the class of weight or measure and to produce such sample for test by the recognized laboratory specified by the Director.

(2) The recognized laboratory shall, as soon as may be practicable after carrying out the tests referred to in sub-rule (1), make a report to the Director as to the results of such test.

(3) If, on perusal, of the results of such test, the Director is satisfied that the model or sample, as the case may be, does not conform to the standards established by or under the Act, he shall call upon the manufacture to remove the deficiencies within such time as may be specified by him; and if the deficiencies are not removed within the time so specified, the license of the manufacture, in so far as it relates to the manufacture of the weight or measure, the model or sample of which was tested, shall be liable to be cancelled.

18. Provisions relating to testing of substitute materials. - (1) A substitute

material shall be sent by the manufacturer, within seven days from the date on which he commences manufacturing with the substitute material, to the Director who shall cause it to be forwarded to a recognized appropriate laboratory for approval.

(2) Where the substitute material is sent to a recognized laboratory for test, it shall conduct necessary test and determine whether the use of the substitute material shall serve the purpose for which the model was approved and in case the recognized laboratory is of the opinion that the substitute material is not suitable then the model shall be treated as a new model.

(3) The recognized laboratory shall forward its findings to the Central Government through the Director.

19. Fees for testing of model of weight or measure.-

(1) The applicant while making an application under rules, shall deposit fees for testing cost of the laboratory in the following manner:

(i) rupees five thousand in the form of a demand draft drawn in favour of the laboratory for the testing of mechanical type model of weights or measures or weighing and measuring instruments;

(ii) rupees ten thousand in the form of a demand draft drawn in favour of the laboratory for the testing of digital or electronic type model of weights or measures or weighing and measuring instruments.

intended to be manufactured for sale, purchase, distribution or delivery in the course of any trade or commerce.

(2) The applicant shall deposit half of the testing fees as specified in sub-rule (1) for testing of the substitute material.

20. Licence to manufacture weight or measure when to be issued.-

(1) Before issuing a licence to manufacturing or importing any weight or measure, the State Government shall satisfy itself that a certificate of approval of the model of such weight or measure has been granted by the Central Government under section 22 of the Act.

(2) When any certificate of any approval of model has been revoked by the Central Government the licence issued by the State Government for manufacturing or importing any weight or measure in accordance with such model shall stand suspended:

Provided that such suspension shall be vacated if such model is subsequently approved by the Central Government.

21. Repeal and savings.- (1) The Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 (herein under referred to as the said rules) are hereby repealed.

Provided that such repeal shall not affect:

(a) the previous operations of the said rules or anything done or omitted to be done or suffered therein; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said rules; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said rules; or

(d) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid.

And any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said rules had not been rescinded.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or purported to have been done or taken including approval of letter, exemption granted, fees collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced, license and registration of manufacturers, dealers, importers of weights and measures, or show cause notice, decision, determination, approval, authorisation issued, given or done under the said rules shall if in force at the commencement of the said rules continue to be in force and have effect as if issued, given or done under the corresponding provisions of these rules.

(3) The provisions of these rules shall apply to any application made to the Central Government or as the case may be the State Government under the said rules for licence, registration of manufacturers, importers and dealers of weights and measures pending at the commencement of these rules and to any proceedings consequent thereon and to any registration granted in pursuance thereof.

(4) Any legal proceeding pending in any court under the said rules at the commencement of these rules may be continued in that court as if these rules had not been framed.

(5) Any appeal preferred to the Central Government or as the case may be the State Government under the said rules and pending shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these rules.

[F. No. WM 9(6)/2010-Pt.]

RAKESH KACKER, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.